सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

प्रेस विज्ञप्ति *रांची,दिनांक–21.11.2017*

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव श्रीमति निधि खरे द्वारा जल संसाधन विभाग में 415 कनीय अभियंता (सिविल) के पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है।

प्रधान सचिव श्रीमति निधि खरे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नियमित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियंता (सिविल) के **415** पदों पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। इन 415 पदों में से **100 (एक सौ)** पदों पर सीधी भर्त्ती प्रक्रिया अन्तर्गत तथा **315 (तीन सौ पन्द्रह)** पदों पर बैकलॉग रिक्ति के संदर्भ में विशेष भर्त्ती प्रक्रिया अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है। अधियाचित पदों में 68 पद अनारक्षित, 279 पद अनुसूचित जनजाति, 47 पद अनुसूचित जाति, 18 पद पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) एवं 03 पद अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) के लिए कर्णांकित है। सीधी नियुक्ति के पदों में निःशक्तजनों के लिए 12 पद एवं महिलाओं के लिए 20 पद क्षैतिज रूप से आरक्षित हैं।

श्रीमति खरे के अनुसार इन पदों के लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्तशासी संस्थान से **सिविल अभियांत्रिकी** में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता निर्धारित है। परीक्षा का आयोजन **"झारखण्ड अवर अभियंत्रण सम्वर्ग (कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली–2013"** के आलोक में आयोजित की जायेगी। कनीय अभियंता (सिविल) के पदों पर आवेदन करने की न्यूनतम आयु **19** वर्ष निर्धारित है तथा अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग–35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–37 वर्ष, महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)–38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) वर्ग हेतु–40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों पर नियुक्ति में आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड के स्थायी निवासी को देय है।

आयोग से शीघ्र इन पदों पर नियुक्ति की अग्रत्तर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।